हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 128

वीरवार, 22 दिसम्बर, 2016/01, पौष, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमने कल भी आपसे आग्रह किया था कि नियमों के तहत सदन चलाया जाए और उसके अनुसार चर्चा अलाउ करें। आपने उस बात को नहीं माना। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि सदन को एडजर्न करने के 15 मिनट बाद जव आप हाऊस में नहीं आए तो पैनल में श्री सुरेश भारद्वाज आसन पर बैठे और उस के बाद जो हुआ उस पर आपने बड़ा गम्भीर नोटिस लेकर कार्रवाई की है। ये नियम एकतरफा क्यों चल रहे हैं?

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :

"आपकी बात मैं क्वैश्चन आवर के बाद सुनूंगा, पहले नहीं सुनूंगा। I will not listen to you before the Question Hour. Let the question hour be completed first."

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से अंसतुष्ट विपक्ष ने नारे लगाते हुए 11.25 बजे पूर्वाह्न सदन से वाक आऊट किया।)

(11.50 बजे पूर्वाह्न विपक्ष पुनः सदन में उपस्थित हुआ।)

1. **प्रश्नोत्तर :**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616, 3617, 3619, 3620, 3626 और 3629 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3333, 3372, 3421 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3605, 3607, 3609 माननीय सदस्यों द्वारा नहीं पूछे गये। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3611, 3613, 3615, 3618, 3621 से 3625 तक, 3627, 3628 , 3630 तथा 3631 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3632 से 3643 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्य 1520 से 1538 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गये।

2. <u>कागज़ात सभा पटल पर :</u>

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 12(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 29वां संकलित वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2012-13 (01-04-2012 से 31-03-2013 तक) (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री जी0 एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेशअग्निहोत्री, उद्योग मंत्री ने** हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(5) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारन का निवारण) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(एफ)6-14/2014 दिनांक 13.3.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.3.2015 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए(बी)2-1/98-पार्ट-II दिनांक 22.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2016 को प्रकाशित;

(iii) राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act, 1951) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च, 2016 तक), वर्ष 2015-16; और

(iv) राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act, 1951)अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 ।

(6) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन; और

(iii) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0(3)13/2015-लूज़ दिनांक 05.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित।

(7) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने** बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(8) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पी.सी.एच.-एच.ए.(1)11/2010-II दिनांक 08.9.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.9.2016 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पीसीएच-एचए(4)1/94 दिनांक 20.5.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.5.2016 को प्रकाशित ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **161वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **162वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **61वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (वाणिज्यिक) में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:2.9, 2.10.1, 2.16.4 तथा 2.16.5 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **62वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 34वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **63वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

(3) श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित गतिविधियों की संविक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(4) श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों पर आधारित तथा **भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(5) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति का **24वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:</u>

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, कार्य-सलाहकार समिति ने समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार ।

5. मन्त्री द्वारा वक्तव्य:

1. **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने** दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सभा में पारित गैर-सरकारी सदस्य संकल्प **'प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति(OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु'** प्रस्ताव पर कृत कार्रवाई बारे वक्तव्य दिया ।
2. **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने** डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज, टाण्डा में दिनांक 14-12-2016 को आंखों के आप्रेशन बारे आई शिकायत पर कृत कार्रवाई बारे वक्तव्य दिया।

12.20 PM

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

पहला संकल्प :

श्री महेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया व चर्चा की :

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं ।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. **श्रीमती आशा कुमारी**

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई।)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

2. श्री सतपाल सिंह सत्ती
3. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
4. श्री इन्द्र सिंह
5. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
6. श्री गोविन्द राम शर्मा
7. श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव
8. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
9. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव
10. श्री विजय अग्निहोत्री

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकार हुआ।

दूसरा संकल्प :

श्री रविन्द्र सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "खुदरो दरख्तान-तहज़मीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए। "

(सांय 4.50 बजे सदन की बैठक शुक्रवार , 23 दिसम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।)